



BHARAT SANCHAR NIGAM LIMITED

(A Government of India Enterprise)

OFFICE OF THE DIVISIONAL ENGINEER (RURAL) JABALPUR

पत्र क्रमांक- कुण्डम ब्लॉक / भारत नेट फेस 2

दिनांक 26-12-2020

प्रति

श्री मान वनमंडल अधिकारी

(सामान्य) जबलपुर

विषय:- जबलपुर जिले में भारत नेट फेस 2 में सिहोरा ब्लॉक में लाइन बिछाने हेतु अंतिम स्वीकृति प्रदान करने बाबत (ऑनलाइन प्रकरण क्रमांक /FP/MP/OFC/37186/2018)

सन्दर्भ:- आपका पत्र क्रमांक / डी.एम./6671

जबलपुर दिनांक : 24-12-2020

प्रति

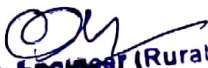
महोदय जी

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्रानुसार आपके द्वारा ब्लॉक में आने वाले गिदुरहा से मढाबंजर एरिया में ओएफसी लाइन बिछाने हेतु सैद्धांति स्वीकृति प्रदान की गई है। इस पत्र के माध्यम से आस्वस्त किया जाता है की प्रोजेक्ट को संदर्भित पत्र में अधिरोपित की गयी निम्निलिखित समस्त शर्तों का अनुपालन करते हुए ही सम्पन्न किया जायेगा

(1) वनभूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा।	उपरोक्त शर्त के पालन हेतु आवेदक संस्था है बचन पत्र संलग्न है।
(2) वनभूमि में भूमिगत ओएफसी डालने की स्वीकृति वर्तमान में उपलब्ध मार्ग के किनारे राईट ऑफ वे के तहत ही होगी। राईट ऑफ वे से तात्पर्य मार्ग के किनारे किनारे मार्ग सीमा के अंदर आने वाले क्षेत्र से हैं	उपरोक्त शर्त के पालन हेतु आवेदक संस्था है बचन पत्र संलग्न है।
(3) ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु वन परिक्षेत्र गिदुरहा से मढाबंजर के वन कक्ष क्रमांक पी-एफ 34 पी-एफ 35 लंबाई 1670 मीटर चौड़ाई 0.55 मीटर रकवा 0.092 हेक्टेयर से अधिक वनभूमि का उपयोग नहीं किया जावेगा।	उपरोक्त शर्त के पालन हेतु आवेदक संस्था है बचन पत्र संलग्न है।

Dw. Engineer (Rural)
Telephone Ex. Building
Mihonigang, Jabalpur

(४) उक्त वनभूमि में प्रस्तावित अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा .	उपरोक्त शर्त के पालन हेतु आवेदक संस्था बचनबद्ध है बचन पत्र संलग्न है.
(५) ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछाने में खोदी गई खेती का समतलीकरण का कार्य आवेदक संस्थान के स्वम के व्यय से खेती से निकली मिटटी से ही किया जायेगा .	उपरोक्त शर्त के पालन हेतु आवेदक संस्था बचनबद्ध है बचन पत्र संलग्न है.
(६) समतलीकरण के कार्य हेतु मिटटी पत्थर की आवश्यकता हो तो वन क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जावेगा .	उपरोक्त शर्त के पालन हेतु आवेदक संस्था बचनबद्ध है बचन पत्र संलग्न है.
(७) ऑप्टिकल फाइबर लाइन डालते समय ब्रक्षो को किसी प्रकार की हनी नहीं पुहुचाई जावेगी और न ही प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य वन क्षेत्र को तोड़ा जावेगा ,	उपरोक्त शर्त के पालन हेतु आवेदक संस्था बचनबद्ध है बचन पत्र संलग्न है.
(८) आवेदक संस्थान / ठेकेदार द्वारा वन क्षेत्र को किसी प्रकार की हनी पुहुचाई जाती है तो निर्धारित राशि आवेदक संस्थान से बसूल की जावेगी.	उपरोक्त शर्त के पालन हेतु आवेदक संस्था बचनबद्ध है बचन पत्र संलग्न है.


 Div. Engineer (Rural)
 Telephone Ex. Building
 M.H. Nagar, Jabalpur

72

BHARAT SANCHAR NIGAM LIMITED

(A Government of India Enterprise)

OFFICE OF THE DIVISIONAL ENGINEER (RURAL) JABALPUR

पत्र क्रमांक- कुण्डम ब्लॉक / भारत नेट फेस 2

दिनांक 26-12-2020

प्रति

श्रीमान वनमंडल अधिकारी

(सामान्य) जबलपुर

विषय:- जबलपुर जिले में भारत नेट फेस 2 में सिहोरा ब्लाक में लाइन बिछाने हेतु अंतिम स्वीकृती प्रदान करने बाबत (ऑनलाइन प्रकरण क्रमांक / FP / MP / OFC/37186/2018)

सन्दर्भ:- आपका पत्र क्रमांक / डी.एम./ 6671

जबलपुर दिनांक : 24-12-2020

वचन पत्र

1. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा.
2. वन भूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति केवल वर्तमान में उपलब्ध मार्ग के किनारे राईट ऑफ वे के तहत की जावेगी . राईट ऑफ वे का तात्पर्य मार्ग के किनारे -किनारे मार्ग सीमा के अंदर आने वाले क्षेत्र से है .
3. वन भूमि पर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए खोदी जाने वाली खंती का आकर 2 मीटर गहरा एवं स्वीकृति चोड़ाई से अधिक नहीं होगा .
4. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा .
5. समतलीकरण का कार्य आवेदक /आवेदक संस्थान के द्वारा स्वयं के व्यय पर खोदी गई खंती से निकली गई मिटटी से किया जायेगा .
6. समतलीकरण के कार्य हेतु यदि मिटटी /पत्थर की अव्यय्यता हो तो वन क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जायेगा .
7. खंती खोदने समय वृक्षों को हानी नहीं पहुंचाई जाएगी तथा खंती में आने वाले वृक्षों की जड़ों को नहीं काटा जायेगा
8. यदि आवेदक /आवेदक संस्थान या उसके टेकेदार द्वारा वन या वन भूमि को किसी प्रकार की हानि पहुंचाई जाती है तो वन मंडल अधिकारी द्वारा निर्धारित राशी आवेदक संस्थान से बसूल की जावेगी .


Div. Engineer (Rural)
Telephone Ex. Building
Miltoniganj, Jabalpur

९. आवेदक /आवेदक संस्थान लिखित वचन पत्र देवें कि यदि भविष्य में भारत सरकार राज्य शासन प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्य प्रदेश क्षेत्रीय वन संरक्षक एवं वनमंडलाधिकारी द्वारा अन्य कोई शर्त निराधित की जाती है तो वे सभी शर्तें उन्हें मान्य होगी .
१०. भूमिगत ओप्टिकल फाइबर केबल के प्रकरण में राजस्व वन या छोटे बड़े झाड़ का वन जैसा कि सिविल याचिका क्रमांक /२०२/९५ में सर्वोच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक १२.१२.१९९६ के निर्णय के पालन में राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक /१६-१०-सात /२-ए/९० दिनांक १३.०१.१९९७ में परिभाषित है, के संबंध में आवश्यक जानकारी आवेदक /आवेदक संस्थान द्वारा अपने प्रस्ताव में सम्मिलित कर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है . यदि आवेदक ऐसे वनों का विवरण अपने आवेदन में नहीं देते तो स्वीकृति जारी करते समय सम्बंधित कलेक्टर को आवेदक द्वारा प्रदत्त मानचित्र की प्रति देते हुए यह सूचित किया जाए कि वे आवेदक /आवेदक संस्थान के द्वार की जा रही खुदाई के प्रकरणों में इस तथ्य का ध्यान रखे कि यह स्वीकृति केबल वन भूमि के लिए जारी की जा रही है जो कि वन विभाग के अधिपत्य में है . अगर आवेदक / आवेदक संस्थान के द्वारा जानकारी सही जानकारी न देते हुए राजस्व विभाग के अधीन वन क्षेत्र (छोटे बड़े झाड़ का जंगल) में खुदाई की जाती है. तो उनके विरुद्ध नियम अनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए वन विभाग को सूचित किया जाए, ताकि वन संरक्षण अधिनियम के अन्तरगत विधिवत कार्यवाही की जा सके .
११. सूर्यास्त के पश्चात् कोई कार्य नहीं किया जायेगा .
१२. कार्य की स्वीकृति /प्राक्कलन, कार्य संपादन कराने वाले अधिकारी /कर्मचारी के नाम, पदनाम व पूर्ण पते भी परिक्षेत्र कार्यालय में सूचित किये जावेगे .
१३. कार्य आरम्भ करने के पूर्व सम्बंधित परिक्षेत्र अधिकारी सिहोरा को सूचना दी जावेगी .


मनोज कुमार तिवारी
मंडल अभियंता (ग्रामीण)

Div. Engineer (Rural)
Telephone Ex. Building
Mithoniganj, Jabalpur